

संस्कृति विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 मई 2018

क्रमांक एफ 1-34/2016/30/सं.—छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6/30/सं./07, दिनांक 4 जून, 2007 द्वारा गठित छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान एवं इसके विधान में एतद्द्वारा राज्य शासन निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उपान्तरणों के अध्यक्षीन रहते हुए विधान में शब्द “छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान” जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द “छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी” प्रतिस्थापित किया जाए,
2. ये संशोधन, अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

No. F 1-34/2016/30/C.—Chhattisgarh Government, Department of Culture, by it's notification No. F 1-6/30/C./07, Dated 4 June 2007 has constituted “Sindhi Sahitya Sansthan” and made it's By Laws. The state government hereby makes the following amendment in the By Laws, namely;

AMENDMENT

1. Subject to the modification that in the By Laws for the words “Chhattisgarh Sindhi Sahitya Sansthan” Wherever they occur the words “Chhattisgarh Sindhi Academy” shall be substituted.
2. This amendment shall come into force from the date of this notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
द्रोपती जेसवानी, उप-सचिव.